Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2019/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2019
(14 भाद्र, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)	241–242
	2. पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8)	243–244
	(केवल हिन्दी में)	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 40/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 05 सितम्बर, 2019 – हरियाणा राजस्व विभाग जिला अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2019.	535–536
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 41/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 05 सितम्बर, 2019 – हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2019.	537–538
	3. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 42/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 05 सितम्बर, 2019 – हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग मुख्यालय संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा संशोधन नियम, 2019.	539–540
	4. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 43/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 05 सितम्बर, 2019 – हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग क्षेत्रीय संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा संशोधन नियम, 2019.	541–542
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 सितम्बर, 2019

संख्या लैज. 7/2019.– दि हरियाणा डिवेलपमेन्ट ऐन्ड रेगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 29 अगस्त, 2019, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम,1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 में,– 1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 3 अपैल, 2018 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :–

"(iv) अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पांच वर्ष की अवधि के भीतर या निदेशक द्वारा यथा अनुमत विस्तारित अवधि में अपने स्वयं के खर्च पर या किसी अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा उनके खर्च पर इस प्रयोजन के लिए अलग रखी हुई भूमि पर स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केन्द्र और अन्य सामुदायिक निर्माण सन्निर्मित करना या करवाना तथा इसमें असफल रहने पर, भूमि ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के बाद, निःशुल्क, सरकार में निहित होगी, ऐसे मामलों में सरकार, कथित प्रयोजनों के लिए, ऐसे निबन्धन तथा शर्त, जो यह उचित समझे, पर ऐसी भूमि किसी व्यक्ति या संस्था जिसके अन्तर्गत स्थानीय निकाय भी है, को अन्तरित करने के लिए स्वतन्त्र होगी:

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी, क्रेता या उसके माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति विहित अवधि में निर्माण करने और प्रयोजन जिसके लिए ये उपयोग की जानी थी, में असफल रहता है और विस्तार चाहता है, निदेशक यदि ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद, संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसी विस्तारित फीस, जो प्रति वर्ष प्रति एकड़ पर विहित की जाए, की वसूली के बाद, एक बार में पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए निर्माण अवधि बढा सकता है :

परन्तु यह और कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और सरकार में भूमि निहित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि आवेदक को इस खण्ड के उपबन्धों से छूट दी जाएगी जहां निदेशक द्वारा खण्ड (iv-ख) की अनुपालना चाही गई है।

व्याख्या.– 3 अप्रैल, 2013 से पूर्व किसी तिथि को जारी सभी अनुज्ञप्तियों में, 3 अप्रैल, 2018 से पूर्व निर्माण की किसी विस्तारित अवधि के लिए कोई विस्तारण फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी;";

(ii) उप–धारा (4) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 8 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''8. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण.– (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति, निदेशक द्वारा रद्द की जाने के लिये दायी होगी, यदि उपनिवेशक अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों की उल्लंघना करता है:

परन्तु ऐसे रद्दकरण से पूर्व उपनिवेशक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि अनज्ञप्ति के ऐसे रद्दकरण के जारी होने पर, ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्वलित भूमि तथा निर्माण, जब तक सरकार द्वारा इस बाध्यता को विनिर्दिष्ट रूप से मुक्त नहीं कर दिया जाता, सरकार में निहित हुए समझे जाएंगे।

(2) अनुज्ञप्ति के रद्दकरण पर, निदेशक द्वारा या तो स्वयं या उसके द्वारा परिलक्षित तृतीय पक्षकार अभिकरण के माध्यम से उपनिवेश की आस्तियों को सुरक्षित करने के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध दावों तथा दायित्वों को परिनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन उपनिवेश की आस्तियों को सुरक्षित करने के बाद तथा तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दिए गए उपबन्धों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, निदेशक, देयों की वसूली के प्रयोजनों के लिए या समापन प्रमाण–पत्र या अन्यथा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, शेष विकास संकर्मो को प्राप्त करने के लिए सभी ऐसे उपायों, जिसमें सरकार की पूर्व सहमति को प्राप्त करने के बाद किसी तृतीय पक्षकार में सहयोजित भूमि सहित अनुज्ञप्ति या उसके भाग के हस्तान्तरण को सम्मिलित करते हुए, तथा ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, को अपना सकता है।

(4) यथा उपरोक्त किन्हीं उपबन्धों के होते हुए भी, उपनिवेशक द्वारा इसके आबंटितियों से प्राप्त की गई कोई अतिरिक्त राशि, निदेशक द्वारा वसूल की जाएगी। निदेशक इसके आबंटितियों से प्राप्त कोई अतिरिक्त राशि उपनिवेशक से वसूल करेगा तथा यदि उपनिवेशक से उसकी सीधी वसूली के सभी प्रयास असफल रहते हैं, तो ऐसी वसूली उपनिवेशक के स्वामित्व के अधीन सभी आस्तियों से भू–राजस्वों के बकायों के रूप में की जाएगी।''।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 10क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''10क. देयों की वसूली.– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निदेशक को भुगतानयोग्य सभी देयों की वसूली निम्न अनुसार की जा सकती है, अर्थात्:–

(i) कलक्टर को निदेशक अथवा उसके द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा देय राशि के भेजे गए प्रमाण–पत्र पर भू–राजस्व के बकाया के रूप में ; या

(ii) व्यक्ति, कम्पनी या अन्य अभिकरण जिससे निदेशक को राशि देय है, का बैंक खाता रखने वाले बैंक को देय राशि की सीमा तक ऐसा खाता फ्रीज करने के निदेश दे सकता है :

परन्तु निदेशक वसूली के लिए खण्ड (i) या खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट दो ढंगों में से किसी एक को प्रारम्भ करेगा अथवा जारी रखेगा :

परन्तु यह और कि जहां इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति, कम्पनी या अन्य अभिकरण से बाह्य विकास प्रभारों के मद्दे धन राशि देय है, तो निदेशक अधिकारिता रखने वाले सब–रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 71 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपनिवेश, जिसके लिए ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी, में अवस्थित किसी अचल सम्पत्ति के विक्रय, विनिमय, दान, बंधक या पट्टे के लिए किसी दस्तावेज को पंजीकृत करने से इन्कार करने के लिए लिखेगा :

परन्तु यह और कि निदेशक या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि खण्ड (ii) के अधीन वसूली का ढंग प्रारंभ करता है, तो उस तिथि जिसको बैंक को निर्देश दिये गए हैं, से तीन दिन के अपश्चात् व्यक्ति, कम्पनी या अन्य अभिकरण जिससे राशि देय है, को सुनवाई का अवसर देगा :

परन्तु यह और कि चूककर्ता, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी चूक के लिए, आपराधिक कार्रवाई सहित, कार्रवाई के लिए दायी रहेगा।''।

मीनाक्षी आई० मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

57344—L.R.—H.G.P., Chd.